5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

द्वितीय अपील प्रकरण कमांकः /2016

प्रस्तुती दिनांकः 10 . 8 .2016

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, इन्दौर कैम्प के समक्ष

सरदारसिंह पिता हमीर, जाति भीलाला,
निवासीः ग्राम बोरी, तहसीलः जोबट,
जिलाः अलीराजपुर (म.प्र.) ..... अपीलार्थी

विरूध्द

विमल कुमार पिता बसंतीलाल जैन,
निवासीः ग्राम बोरी, तहसीलः जोबट,
जिलाः अलीराजपुर (म.प्र.) ... प्रत्यर्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 10-08-2016 को प्रस्तुत।
580
10-08-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

द्वितीय अपील धारा 44 (2) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत

विद्वान अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा प्रथम अपील प्रकरण कमांकः 290/अपील/2014–15 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 10.06.2016 के द्वारा प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 को निरस्त किया गया है तथा तहसीलदार, तहसील जोबट द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर नक्शा दुरूस्ती का आदेश दिया गया है, उक्त आलौच्य आदेश के विरूध्द

माननीय न्यायालय की सेवा में यह द्वितीय अपील अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त उल्लेखित आलौच्य आदेश से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत हैः–

A 2829-PBR/16 बलिया/कपूर

19.10.2016

आवेदक की ओर से सूचना उपरोत हीं कोई भी उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से श्री बी०के० गुप्ता अभिभाषक उपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष

DP

19-10-2016

गाक्षेमुंग्वा—320—फॉर्म्स—21-9-12—5,000 प्रपत्र